दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd.No.-UPHIN/2004/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

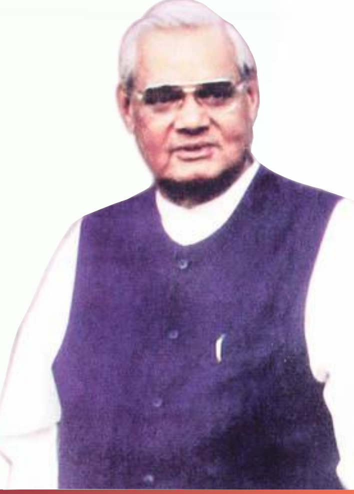

अपने लिए तो सब जीते हैं पर अटल जी देश के लिए.... P-4

वर्ष : 14 ▸ अंक : 3 ▸ गाजियाबाद, अगस्त, 2018 ▸ मूल्य : 4 रूपया ▸ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

आज सेना के जवानों को नमन करने का दिन है : मृणालिनी सिंह

भारत के सबसे ऊँचे '111 फीट' स्टेनलेस स्टील के पोल पर उत्थान समिति द्वारा तिरंगे का ध्वजारोहण

गाजियाबाद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्थान समिति द्वारा राजनगर सेन्ट्रल पार्क में भारत के सबसे ऊँचे 111 फीट स्टेनलेस स्टील के पोल पर तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि मृणालिनी सिंह ने ध्वजारोहण किया। समिति के चेयरमैन सत्येंद्र सिंह ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं मृणालिनी सिंह का स्वागत किया। पूर्व विधायक नरेंद्र शिशौदिया ने मृणालिनी सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला एवं सभी को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में बताया। मृणालिनी सिंह रि.जन. वी के सिंह केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार की बड़ी बेटी हैं।

इस अवसर पर बोलते हुए मृणालिनी सिंह ने कहा कि देश को आजाद करवाने में जिन योद्धाओं ने, जिन क्रांतिकारियों ने, अपना बलिदान दिया है उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया है जिसे चिरकाल तक याद किया जायेगा। आज हम अपने देश के अंदर जिस सेना की बदौलत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आज उनको नमन करने का दिन है। देश की सीमा पर हमारे जवान शहीद होकर हमारी दुश्मनों से रक्षा कर रहे हैं।

अतः आज हमें उनको भी सलामी देनी होगी। इस मौके पर शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। सत्येन्द्र सिंह ने कहा की हमारा देश 'अनेकता में एकता' को प्रदर्शित करता है ऐसा दुनिया के किसी कोने में नहीं दिखाई देता है। सभी देशवासियों को आज के दिन अपने अपने घर पर भी तिरंगा फहराना चाहिए। तोशी के डायरेक्टर संजीव सचदेवा ने श्रीमती मृणालिनी सिंह का स्मृति चिन्ह देकर तथा बबिता सिंह ने अंगवस्त्रम पहना कर सम्मान किया कार्यक्रम का संचालन श्रीमती रोमी माथुर ने किया। जिससे माहौल में उन्होंने देशभक्ति की कविताओं से देशभक्ति का रस घोल दिया। इस अवसर पर अनिल गुप्ता, आर सी माथुर, अशोक जैन, डॉ. अनिल वशिष्ठ, आर पी श्रीवास्तव, राजेश सिंह, एम के मिश्रा, सुनील मिश्रा, प्रभाकर जे पी, अमिता गोयल, एस के कंसल इत्यादि लोग मौजूद थे।

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General

Category Of Workers	Minimum Wages (w.e.f. 01/10/2018 To 31/03/2019)	Minimum Wages (Current)
Un-Skilled	7675.45	7613.43
Semi Skilled	8443.00	8374.77
Skilled	9457.49	9381.06

Engineering (50 to 500)

w.e.f. 01/08/2018 To 31/01/2019

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8975.63
Semi Skilled	9856.30
Skilled	10942.06

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9409.93
Semi Skilled	10350.93
Skilled	11291.92

Delhi Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	10270.00
Semi Skilled	11362.00
Un-Skilled	12506.00
Non-Matriculate	11362.00
Matriculate not Graduate	12506.00
Graduate & Above	13598.00

Rajasthan Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages

w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages

w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages

w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

इस वित्त वर्ष में वेतन से ज्यादा होगा पेंशन का भुगतान : वित्त मंत्रालय

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार का वेतन से ज्यादा पेंशन का भुगतान होगा. अगले दो वित्त वर्ष में, यानी मार्च 2021 तक यही स्थिति बने रहने का अनुमान है. लोकसभा में पेश मध्यावधि व्यय रूपरेखा के अनुसार आने वाले सालों में सब्सिडी और ब्याज भुगतान पर भी सरकार का व्यय बढ़ेगा. दस्तावेज के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार का पेंशन व्यय उसके वेतन भुगतान के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा. हालांकि सकारात्मक संकेत यह है कि 2020-21 तक सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन प्रतिशत के स्तर पर लाने में कामयाब रहेगी. वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3.1% और चालू वित्त वर्ष के लिए 3.3% रखा है. पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान से थोड़ा अधिक रहने, 2019-20 में बढ़कर 3.27 लाख करोड़ रुपये होने और बाद में 3.76 करोड़ रुपये हो जाने की उम्मीद है. मध्यावधि व्यय रूपरेखा में अगले तीन वर्ष के व्यय लक्ष्यों को तय किया गया है. इसमें देश की जीडीपी वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 7.3% रहने, 2019-20 में 7.5% और 2020-21 में 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है. सरकार का अनुमान है कि सरकार का वेतन व्यय 1.58 लाख करोड़ रुपये रहेगा जो पिछले वित्त वर्ष में 1.50 लाख करोड़ रुपये था. इसी प्रकार 2019-20 में यह बढ़कर 1.66 लाख करोड़ रुपये और 2020-21 में 1.74 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. वहीं सरकार का पेंशन पर व्यय वेतन की तुलना में अधिक रहने की उम्मीद है. चालू वित्त वर्ष में यह पिछले साल के 1.45 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. इसी प्रकार 2019-20 में इसके 1.79 लाख करोड़ रुपये और 2020-21 में 1.84 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है. इसके अलावा सरकार का खाद्य सब्सिडी भुगतान पिछले वित्त वर्ष के एक लाख करोड़ रुपये से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 1.69 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है. वर्ष 2019-20 में यह 1.87 लाख करोड़ रुपये और 2020-21 में यह दो लाख करोड़ रुपये से ऊपर निकल सकता है. इसी प्रकार पेट्रोलियम सब्सिडी का बिल चालू वित्त वर्ष में 24,933 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 तक 28,546 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है. सरकार का उर्वरक सब्सिडी, रक्षा खर्च और कराधान प्रशासन खर्च में भी बढ़ोत्तरी होने का अनुमान इस रपट में जताया गया है. उर्वरक सब्सिडी के इस साल 70,090 करोड़ से बढ़कर 2020.21 तक 80,246 करोड़ रुपये, रक्षा व्यय 1.92 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2.20 लाख करोड़ रुपये और कर प्रशासन व्यय इस साल के 95,684 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020. 21 में 1.10 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है.

कच्चे तेल के आयात पर बढ़ेगा सरकार का खर्च

नई दिल्ली। भारत के कच्चे तेल के आयात पर खर्च 2018-19 में 26 अरब डॉलर (करीब 1.82 लाख करोड़ रुपये) ज्यादा हो सकता है, क्योंकि रुपये में रेकॉर्ड गिरावट के चलते विदेश से तेल खरीदने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। डॉलर के मुकाबले रुपया शुरूआती ट्रेड में रेकॉर्ड लो लेवल 70.32 तक चला गया था। इससे पेट्रोल, डीजल और कुकिंग गैस (एलपीजी) की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात करता है। उसने 2017-18 में 22.043 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात पर करीब 87.7 अरब डॉलर (5.65 लाख करोड़ रुपये) खर्च किया था। वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग 22.7 करोड़ टन क्रूड ऑइल के इंपोर्ट का अनुमान है। एक अधिकारी ने बताया, 'हमने वित्त वर्ष की शुरूआत में अनुमान लगाया था कि 108 अरब डॉलर (7.02 लाख करोड़ रुपये) का कच्चा तेल आयात किया जाएगा।

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT. LTD.

ISO 9001 : 2008

A COMPLETE H.R., LABOUR LAWS &
PAY ROLL OUT SOURCING MANAGEMENT

When we are at your back please stopworrying about maintaining records of Factory Act, Shop & Commercial Establishments Act, Contract Labour and Abolition Act, ESIC Act, PF Act, (Boiler) IBR Act, and handling cases relating to Labour Commissioner Office. We feel ourselves much competent in solving such problems due to our sincere working and wide contacts.

We have a full-fledged office set-up having most modern communication facilities (LAN, e-mail, internet, fax, and integrated telecommunication system), fully computer-ized environment with highly qualified and competent staff to render efficient and prompt services to our esteemed clients.

Our company is the first ISO-9001:2008 CERTIFIED company in India in this category.

OUR SCOPE OF WORK -

We are committed to provide satisfactory services to the customers by delivering prompt & quality output at value prices. Our end-to-end serv-ice includes;

- Payroll
- TDS
- ESI Act
- EPF Act
- Minimum Wages Act
- Bonus Act
- Payment of Gratuity Act
- Standing Order
- Workmen Health & Safety Policy
- First Aid Training & Certificates
- Factory Plan & Site Plan
- Factory Act-1948
- Shop & Establishment Act

Our Website : www.legalipl.com, **CMD -** 9818036460 / 9818697406

H.O. : SH-295, 1st FLOOR, SHASTRI NAGAR, GHAZIABAD (U.P.) INDIA.
PH. : 0120-4122901, 4108794,
Mobile : 9910771102/04

B.O. : D-129, 1st Floor, Sector-10, NOIDA, GAUTHAMBUDH NAGAR, (U.P.) INDIA.
Ph. : 0120-4222307

E-mail : legalipl@yahoo.com, legaliplho@yahoo.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष गारिक रागाचार पत्र
दिल्ली-एनसीआर
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, अगस्त, 2018

यौन उत्पीड़न एवं प्राथमिक चिकित्सा विषय पर सेमिनार

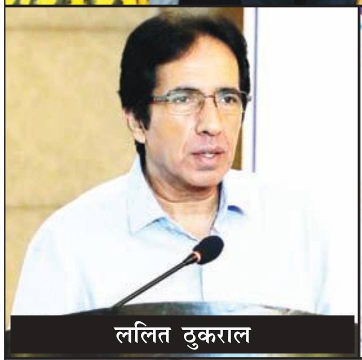

ललित ठुकराल

एस.एन.शुक्ला सहायक श्रमायुक्त

आशुतोष गिरी उपनिदेशक ESIC

रिचा अनिरूद्ध

लीना शर्मा (एडवोकेट)

डॉ. बी.पी. वशिष्ठ

सुरेन्द्र बहादुर सिंह
सहायक निदेशक कारखाना

राम बहादुर सिंह
सहायक निदेशक कारखाना

शास्वत शुक्ला (सहायक आयुक्त)

मृगांका डडवाल

जीएम सैनी (एडवोकेट)

नोएडा। रैडिसन ब्लू सेक्टर 18 नोएडा में लीगल इन्फोसलूशन प्रा.लि. ने उत्थान समिति के सहयोग से श्रम कानूनों, प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग एवं सेक्सुअल हरासमेंट एट वैर्क प्लेस के विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन ललित ठुकराल (चेयरमैन) एनएईसी, चेयरमैन एवं निदेशक सत्येन्द्र सिंह ने दीप प्रज्ज्वलन करके किया। ललित ठुकराल (चेयरमैन) एनएईसी ने उपस्थित लोगों से कहा कि इस तरह के आयोजन गौतमबुद्धनगर में आयोजित होते रहने चाहिए क्योंकि औद्योगिक नगरी होने की वजह से यह इस जगह की आवश्यकता है। साथ ही साथ सभी कारखाना मालिकों को अपने स्टाफ एवं मैनेजमेंट को फर्स्ट ऐड की ट्रेनिंग जरूर दिलवानी चाहिए तथा इस ट्रेनिंग हेतु कारखाना अधिनियम में मात्र सेंट जॉन एम्बुलेंस को ही अधिकृत किया गया है। किसी भी इमरजेंसी के वक्त प्राथमिक चिकित्सा ही काम आती है, इसकी वजह से लोगों की जान बचाई जा सकती है। सभी कारखानों के नियोक्ताओं को इस तरह की ट्रेनिंग अपने कर्मचारियों को अवश्य देनी चाहिए ताकि कारखाने में किसी भी तरह की दुर्घटना के समय इसका लाभ मिल सके।

चेयरमैन एवं निदेशक सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि हमारी संस्था का उद्देश्य कारखाना एवं प्रतिष्ठान मालिकों को उनके अधिकार एवं श्रम कानून के विषय में जानकारी देना है। कारखानों में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, वे सभी जानकारी के अभाव में ही होती हैं। अतः सभी उद्योगों खासकर परिधान उद्योगों को इस तरह की जानकारी एवं उसके अनुपालन से उनका एक्सपोर्ट बढ़ता है। क्योंकि विदेशों से माल सप्लाई का आर्डर लेने के लिए यह सभी कंप्लायंस अत्यंत आवश्यक हैं।

इस अवसर पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त शास्वत शुक्ला ने कहा कि सरकार उद्योगों में मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसी वजह से अगले तीन साल तक नियोक्ता का पूरा 12 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ताकि श्रमिकों को सुविधा हो एवं नियोक्ता पर कोई बोझ ना पड़े। कर्मचारी अब अपना पीएफ कहीं से भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं।

ईएसआई के उपनिदेशक आशुतोष गिरी ने कहा कि अब श्रमिकों को ईएसआई की सुविधा पूरी तरह से ऑनलाइन दी जा रही है तथा कोई भी परेशानी नहीं होने दी जा रही है। ईएसआई की सुविधा का सभी श्रमिकों को लाभ मिले इस बात के लिए सभी नियोक्ताओं को ध्यान देने की जरूरत है। डिस्पेंसरी में सभी दवाएं मौजूद हैं साथ ही ईएसआई अब पब्लिक पार्टनर की तरह डिस्पेंसरी हर जिले में खोलने की शुरूआत कर रहा है जिसे काफी सफलता मिलने की उम्मीद है।

उपनिदेशक कारखाना ओपी भारती ने कहा कि सभी कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सेक्सुअल हरासमेंट पर एक कमेटी बनाना अनिवार्य है जिसमें 3 प्रतिनिधि प्रबंधक पक्ष के तथा एक प्रतिनिधि किसी एनजीओ का होना अनिवार्य है। जहाँ पर भी दस के अधिक कर्मकार कार्यरत हैं वहां पर इन्टरनल कमेटी बनाना अनिवार्य है अन्यथा पचास हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। आज के समय में यह हर कारखाने एवं प्रतिष्ठान में होना अति आवश्यक है जिसमे वहां कार्यरत महिलायें किसी भी अनहोनी की दशा में शिकायत दर्ज करवा सकती हैं यदि वहां उनका निबटारा नहीं होता है तो जिला कमेटी में मामला ट्रांसफर कर दिया जाता है।

सम्पादकीय

समन्वय के सूत्रधार

सत्येन्द्र सिंह

उनकी अभिलाषा थी कि भारत भय, भूख, निरक्षरता और अभाव से मुक्त हो। इसी को ध्यान में रख कर सरकार में रहते हुए उन्होंने नीतियां बनाईं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति में अजातशत्रु राजनेता माने जाते थे। वे एक ऐसे नेता थे, जिन्हें दूसरे दलों के लोग भी पसंद करते थे, उनकी वक्तृता और सूझ-बूझ के कायल थे। वे बहुत संतुलित, सधी हुई भाषा, रोचक शैली और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखते थे। बचपन में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे और फिर अपनी पढ़ाई को विराम देकर संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की और संसदीय राजनीति में प्रवेश करने का मंसूबा बांधा। वे पहले दक्षिणपंथी नेता थे, जिन्होंने संसद सदस्य बन कर मुख्यधारा राजनीति में अपने विचार रखने शुरू किए। आपातकाल के बाद जब तमाम राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी बनाई, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें शामिल हो गए और मोरारजी देसाई सरकार में विदेशमंत्री का दायित्व संभाला। विदेशमंत्री रहते हुए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में अपना भाषण दिया। इस तरह वे पहले नेता थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच से हिंदी को गौरव दिलाया। बाद में जब जनता पार्टी टूटी तो अटलजी ने उससे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी बनाने में योगदान किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी को मजबूत बनाने का प्रयास किया। वे पहले गैर-कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने नेहरू-इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय किया। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देश के आम लोगों की जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के जरिए भारत के कोने-कोने तक सड़कों का जाल बिछाने और हर घर तक बिजली पहुंचाने संबंधी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग की योजनाओं को गति दी। नदियों को आपस में जोड़ कर जल संबंधी समस्याओं से निपटने का विचार दिया, कावेरी जल विवाद को सुलझाया। सभी को आवास संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शहरी सीलिंग को समाप्त किया। इन्हीं योजनाओं और उनकी सूझ-बूझ का नतीजा था कि अर्थव्यवस्था अपनी बेहतरी के दौर में प्रवेश कर सकी। सबसे उल्लेखनीय काम उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बना कर किया। दुनिया के तमाम देशों की कड़ी नजर के बावजूद उनके कार्यकाल में पोकरण परमाणु परीक्षण किया गया। हालांकि उसके बाद भारत को दुनिया के शक्तिशाली देशों की टेढ़ी नजर का सामना करना पड़ा, पर अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी परवाह नहीं की। इस तरह भारत परमाणु शक्ति के रूप में दुनिया में पहचाना जाने लगा। दूसरे देशों के साथ रिश्ते मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अनेक व्यापारिक और सांस्कृतिक समझौते किए। पाकिस्तान के साथ लंबे समय से चली आ रही रिश्तों में कड़वाहट को समाप्त करने के लिए उन्होंने दोनों देशों के बीच आम लोगों की आवाजाही बरकरार रखने पर जोर दिया। रेल और बस सेवाएं शुरू कीं और वे खुद भी बस में बैठ कर पाकिस्तान गए। कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने जम्हूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत का नारा दिया था।

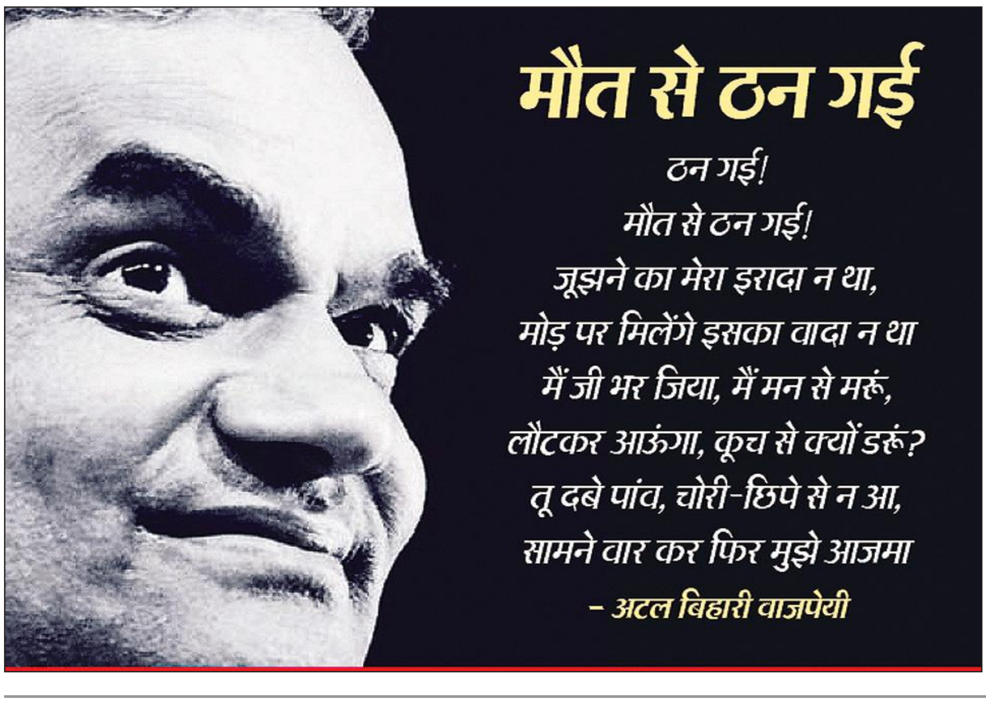

वर्तमान भारतीय राजनीति में सत्ता या विपक्ष में रहते हुये जन श्रद्धा का केन्द्र बने रहना उतना ही दुष्कर है जितना कि आज भी चांद पर पहुंचना। अटल बिहारी वाजपेयी 12 साल से बिस्तर पर रहे, पर कोई दिन ऐसा नहीं गया होगा जब उनकी चचाएं करोड़ो घरों में नित नहीं होती रही होंगी। आजादी के पहले के नेताओं द्वारा समाज की जो कल्पना हुआ करती थी उसे बनाये रखने का काम जो अटल जी ने किया वो आज से पहले देश के किसी भी नेता ने नहीं किया।

संसद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के समक्ष संसद में अपनी वाणी से सदन के सदस्यों के दिल को स्पंदित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि "मैं इस युवक में भारत का भविष्य देख रहा हूं" सच में नेहरू जी ने उन्हे जो कुछ देखा उसे अटल जी ने अपने कर्म से उस ऊंचाई तक पहुंच कर जनता के सपनों को साकार किया। अटल जी भारत के वो व्यक्तित्व रहे जो विपक्ष में रहते हुये भी देश उनके बारे में यह सोचता रहा कि आज नहीं कल यह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। राजनीति में जनता यदि नेता के बारे में सोचने लगे कि सच में इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिये तो उस व्यक्ति का जीवन स्वयं सार्थक हो जाता है। अटल जी ऐसे ही सख्स थे। अटल जी नैसार्गिक रूप से नेता बने। नेता बनने के लिये उन्होने कभी कोई जोड़ तोड़ नहीं की।

हम ग्वालियर के लोग अटल जी को बहुत करीब से जानते रहे हैं। हम उनके पासन भी नहीं हैं, पर ग्वालियर के होने के नाते स्वतः हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस ग्वालियर के हैं, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सख्स पैदा हुये।

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, वे सदैव देश के बारे में सोचते रहे। आजादी के बाद के सात दशकों के वे ऐसे आखिरी नेता रहे जिनके बारे में हर नागरिक कहीं न कहीं श्रद्धा भाव रखता रहा। वे भारत के आखिरी ऐसे नेता रहे जिनको सुनने के लिये लोग अपने आप आते थे लोगो को लाने का कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। भारत की वर्षों की राजनीति में अपनी वाणी से भारत के ही नहीं विश्व के लोगों के मन में अपना घर बना लेना सामान्य बात नहीं है। उनकी वाणी का महत्व इसलिये बना क्योंकि उनकी वाणी और चरित्र में दूरी नहीं हुआ करती थी। वो जैसा बोलते थे वैसी ही जिन्दगी जीते थे। "अटल जी क्या बोलेंगे" इस पर देश इंतजार करता था। यदि किसी व्यक्ति की वाणी का देश की जनता सुनने का इंतजार करे, सच में वो व्यक्तित्व अजेय होता है। अगर हम उन्हे वरद (सरस्वती) पुत्र कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। अपने लिये तो सब जीते हैं, देश के लिये हर पल जीने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं।

"नेता" शब्द का जब सृष्टि में निर्माण हुआ होगा, उस समय जो कल्पना की गई होगी उसका यदि भारत की जमीन पर शत-प्रतिशत उतारने का और अपने जीवन शैली से जिसने जीने की कोशिश की उस व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। वो देश के जन गण मन को जीतते रहे। उन्होने भारत की राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची कि यदि आप भारत माता की सेवा करना चाहते है तो सिर्फ सत्ता में रहकर ही नहीं बल्कि विपक्ष में रहकर भी एक राष्ट्र के प्रहरी के रूप में कर सकते हैं। विपक्ष में रहकर भारतीय मन मानस में श्रद्धा की फसल उगाना सामान्य घटना नहीं है।

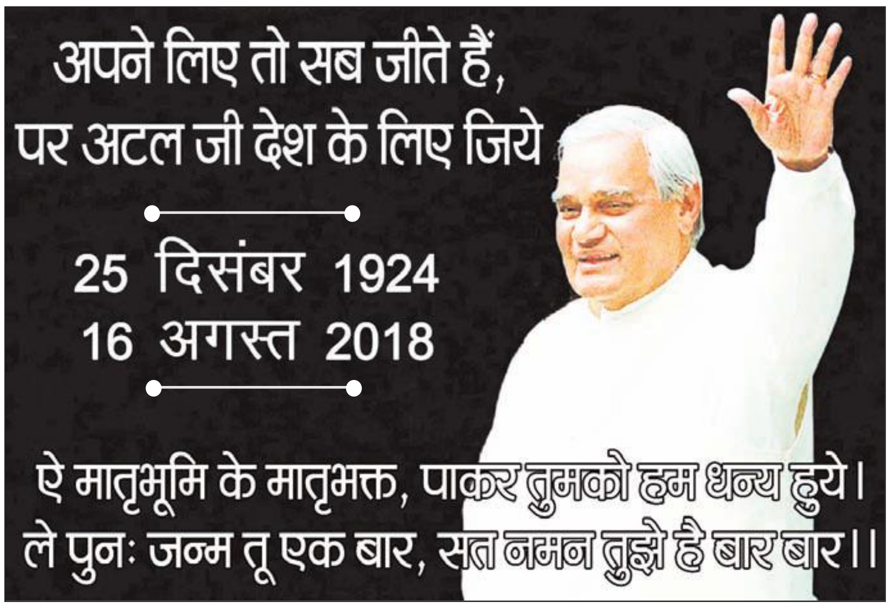

अटल जी नैतिकता का नाम है। अटल जी प्रामाणिकता का नाम है। अटल जी राजनैतिक सच का नाम है। अटल जी विरोधियों के मन को जीतने का नाम है। अटल जी विचार का नाम है। अटल जी प्रतिबद्धता का नाम है। अटल जी निराशा में आशा की किरण जगाने वाले व्यक्तित्व का नाम है। अटल जी देश की राजनीति में दूसरे दलों को प्रतिद्धंदी मानते थे विरोधी नहीं। अटल जी जब संसद सदस्य नहीं रहे तब भी निराश नहीं हुये और वे जब प्रधानमंत्री बने तब भी कभी भी वे बौराये नहीं। उनके जीवन में संतुलित सामाजिक व्यवहार ने देश में उनकी स्वीकार्यता बढ़ायी। अपने राष्ट्रीयता के व्यवहार से उन्होने संसद में वर्षों रहने के बाद सभी लोगों के मन मंदिर में बसे रहे।

दुनिया का सबसे कठिन काम होता है कि प्रतिद्धंदियों के मन में श्रद्धा उपजा लेना। वे भारत के अकेले ऐसे राजनीतिज्ञ रहे, जिन्होने विरोध में रहकर भी सत्ताधारियों के मन में श्रद्धा का भाव पैदा किया। ऐसे लोग धरा पर विरले होते हैं। तेरह दिन, तेरह महीने और उनके पांच साल के कार्य काल को कौन भूल सकता है। भारत में गांव गांव में बनी सड़कें आज भी अटल जी को याद कर रहीं है। कारगिल का युद्ध अटल जी की चट्टानी और फौलादी प्रवृति को भी उजागर करता है। परमाणु विस्पोट कर विश्व को स्तब्ध कर देने का अनूठा कार्य भारत में अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। दल में आने वाली पीढ़ी का निर्माण और भारत में प्रतिभा शक्तियों को प्रतिष्ठित करने का अद्वितीय कार्य अटल जी ने किया। वे राजनीति के त्रिवेणी थे। वे पत्रकार रहे और राजनीतिज्ञ भी रहे। वे विचारों के टकराहट में कभी टूटे नहीं और कभी भूले नहीं कि मातृवंदना ही उनकी पूजा थी। राष्ट्रभाषा उनका जीवन था और समाज सेवा उनका कर्म रहा।

हम लोग सौभाग्यशाली रहे कि अटल जी के साथ हमें काम करने का सुनहरा अवसर मिला। वे जन्में जरूर ग्वालियर में थे, पर भारत का कोई कोना नहीं था जो उन पर गर्व नहीं करता था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने अपने अथक वैचारिक परिश्रम से अद्धुत पहचान बनाई थी। वे प्रतिभा को मरने नहीं देते थे, वे प्रतिभा को पलायन नहीं करने देते थे। वे आने वाले कल में वर्तमान को सजाकर और संवार कर रखने में विश्वास रखते थे। उन्होने कभी अपने को स्थापित करने के लिये वो कार्य नहीं किया जो राजनीति में टीका-टिप्पणी की ओर ले जाता हो। वे सच के हिमायती थे। उन्होने अपने जीवन को और सामाजिक जीवन को भी सच से जोड़कर रखा था। वो आजादी के बाद के पहले ऐसे नेता थे जिन पर जीवन के अंतिम सांस तक किसी ने कोई आरोप लगाने की हिम्मत नहीं की। सदन में एक बार उन्हे विरोधियों ने कह दिया कि अटल जी सत्ता के लोभी हैं, उस पर अटल जी ने संसद में कहा कि "लोभ से उपजी सत्ता को मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा"।

सन 1975 में जब भारत में इंदिरा जी ने देश में आपातकाल लगाई तब भी उन्होंने जेल की सलाखों को स्वीकार किया। पर इंदिरा जी के सामने झुके नहीं। जेल में भी उन्होंने साहित्य को जन्म दिया। साहित्य लिखी। जनता पार्टी जब बनी तो उन पर और तत्कालीन जनसंघ पर दोहरी सदस्यता का आरोप लगा। तो उन्होने कहा कि, "राष्ट्रीय स्वयं संघ में कोई सदस्य नहीं होता, वह हमारी मातृ संस्था है, हमने वहां देशभक्ति का पाठ पढ़ा है। इसीलिये दोहरी सदस्यता का सवाल ही नहीं उठता। हम जनता पार्टी छोड़ सकते हैं, पर राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ नहीं छोड़ सकते।" विचारधारा के प्रति समर्पण का ऐसा अनुपम उदाहरण बहुत ही कम देखने को मिलता है। वे शिक्षक पुत्र थे। संस्कार उन्हे उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी और माता कृष्णा देवी से मिले थे।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने चीन युद्ध के बाद संसद में अटल जी के दिये भाषण को सराहा था। उनके इस भाषण को पूरे देश ने भी सराहा था। भारत पाकिस्तान से जब-जब युद्ध हुआ उन्होने तत्कालीन सत्ता को नीचे दिखाने के बजाये सत्ता के साथ भारत पुत्र होने का प्रमाण दिया। इनकी कार्य शैली के कायल थे स्वर्गीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव। जिनेवा शिष्टमंडल में भारत के प्रतिपक्ष नेता के नाते जब भारतीय शिष्टमंडल को लेकर पंहुचे थे तो विश्व आश्चर्यचकित था। इसका मूल कारण था कि अटल जी कि मातृभक्ति और राष्ट्रभक्ति पर किसी को अविश्वास नहीं था। विश्व के यदि दस राजनीतिक स्टेट्समेन का नाम लिया जाता है, तो उनमें से एक नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी का।

रामजन्म भूमि के आंदोलन में जब ढांचा गिरा तो वे व्यथित हुये, पर संसद में उन्होने कहा कि, "मैं ढांचे गिराने का पक्षधर नहीं हूं। लेकिन प्रधानमंत्री नंरसिंह राव जी आप देश को यह तो बताइये कि यह परिस्थिति पैदा क्यों हुई। कारसेवकों का धैर्य क्यों टूटा? क्या इस परिस्थिति के निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं रही? मैं ढांचा गिराने के पक्ष में नहीं रहा। पर इस बात से सरकार कैसे बच सकती है कि आखिर ऐसी परिस्थिति निर्मित क्यों हुई?

अटल जी बालकों से, कांपते हाथों वाले वृद्ध के मन में भी अपना स्थान सदा बनाते रहे। अटल जी से हम सभी की अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई हैं और उनमें हर स्मृतियां प्रेरणादायी रहेगी।

"ऐ मातृभूमि के मातृभक्त,
पाकर तुमको हम धन्य हुये।
ले पुनरू जन्म तू एक बार,
सत नमन तुझे है बार बार।।"
अटल जी,
तूने था जो दीप जलाया,
उसे न बुझने देंगे हम।
उस बाती की पुंज प्रकाश से,
जगमग जग कर देंगे हम।।

अटल जी एक युगदृष्टा थे। वे दीवार पर लिखे भविष्य की भी अनुभूति कर लेते थे। इसका एक सटीक उदाहरण है कि वे 6 अप्रैल 1980 को मुंबई स्थित माहिम के मैदान में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष होने के नाते जो अध्यक्षीय भाषण दिया था उसमें उन्होने कहा था, "अन्धेरा छटेगा सूरज निकलेगा, और कमल खिलेगा"।

आज अटल जी नहीं हैं, पर उनके बाद की पीढ़ीयों-वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते अमित शाह अटल जी के उपरोक्त वाक्य को सार्थक करते हुये भारत के हर राज्य में कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। अटल जी काया से हमें छोड़ गये, पर उनकी छाया से हमारा वैचारिक अनुष्ठान तब तक चलता रहेगा जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी।

श्रम कानूनों एवं सोशल सिक्यूरिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन

दीप प्रज्जवलन

ओ.पी.भारती उपनिदेशक कारखाना

सत्येन्द्र सिंह

ललित ठुकराल चेयरमैन NAEC

सत्येन्द्र सिंह, मृगान्का डडवाल, आशुतोष गिरी, रिचा अनिरूद्ध, डा.परमेन्द्र कुमार, प्रमोद कुमार, लीना शर्मा, जी.एम.सैनी

घनश्याम सिंह (राजा) पूर्व निदेशक कारखाना उ.प्र.

अशोक श्रीवास्तव

संदीप गुप्ता निदेशक ब्बायलर उ.प्र.

शशांक दिनकर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I

नोएडा। नोएडा सेक्टर-18 स्थित रैडिसन ब्लू में 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाईजर्स एसोसिएशन यू पी ने रैप के सहयोग से श्रम कानूनों एवं सोशल सिक्यूरिटी एवं उनके अनुपालन के विषय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संदीप गुप्ता निदेशक बायलर उ.प्र., चेयरमैन आर.सी. माथुर, प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह, रैप के के.पी. रामकृष्णन, विनय सक्सेना, फिलिप जोसेफ ने दीप प्रज्वलन करके किया।

चेयरमैन आर.सी. माथुर ने उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए कहा कि गौतमबुद्धनगर औद्योगिक नगरी है, जिस कारण इस तरह के कार्यक्रम यहां होते रहने चाहिए। वहीं सभी उपस्थित सदस्यों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन आज के समय की आवश्यकता हैं।

प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि हमारी एसोसिएशन का उद्देश्य श्रमिकों, मालिकों एवं अधिकारियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। इस तरह के सेमिनार हमारी एसोसिएशन द्वारा आयोजित की जाती हैं ताकि लोगों की जागरूकता बढाई जा सके तथा कारखानों में कार्यरत मजदूरों को लाभ पहुचाया जा सके। यह तभी संभव है जब हम कारखाना अधिनियम एवं सोशल सिक्यूरिटि का अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। ताकि हमारे कारखाने का उत्पादन बढे एवं श्रमिकों का भी भला हो। कारखानों में जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं, वे सभी इस जानकारी के अभाव में ही होती हैं। अतः उद्योगों को इस तरह की जानकारी एवं उसके अनुपालन से उनका एक्सपोर्ट बढ़ता है।

शेष पृष्ठ 8 पर

प्रदूषण विभाग का हाल "खिसियानी बिल्ली खम्भे नोचे" वाला

गाजियाबाद। जिन कारखानों ने प्रदूषण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया हुआ है तथा सहमति का पत्र भी लिया हुआ है, प्रदूषण विभाग उन्हीं कारखानों पर अपना शिकंजा कस रहा है जबकि उ.प्र. में तमाम कारखाने ऐसे हैं जिनका प्रदूषण विभाग में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है न तो उनको सहमति पत्र मिला है, न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र। फिर भी वे कारखाने धड़ल्ले से प्रदूषण विभाग की नाक के नीचे ही चल रहे हैं। क्या प्रदूषण विभाग को अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध कारखानों की जानकारी नहीं है? फिर भी विभाग के अधिकारी सिर्फ उन्हीं कारखानों पर कार्यवाही करके अपना कोटा पूरा कर रहे हैं।

शेष पृष्ठ 6 पर

उद्योग विहार
निष्पक्ष साप्ताहिक समाचार पत्र
उद्योग–जगत
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com
गाजियाबाद, अगस्त, 2018

धोखे के चेक पर कानून की बंदिश, नए प्रावधान

कानपुर। चेक को लोगों ने धोखा देने का जरिया बना लिया है। चेक तो झट से काट देते हैं, फिर भुगतान पर रोक लगा देते या फिर खाते में पैसा ही नहीं होता। अभी तक तो यह सब कुछ चल जाता था लेकिन एनआई (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट) एक्ट में संशोधन के बाद चेक बाउंस हुई तो पैसा भी देना होगा। सिविल के पूर्व डीजीसी पीयूष शुक्ला ने बताया कि संशोधन के बाद चेक से लेनदेन एक बार फिर विश्वसनीय होगा। खास बात यह है कि संशोधन के प्रावधान पहले से चल रहे मामलों में भी लागू होंगे।

छह हजार से ज्यादा मामले लंबित

वरिष्ठ अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा बताते हैं कि जिले में छह हजार से ज्यादा मामले लंबित हैं। वहीं देश में 18 लाख से ज्यादा मामले चेक बाउंस के हैं।

यह है प्रावधान : भारत के राजपत्र में दो अगस्त 2018 को गजट होने के बाद संशोधन अधिनियम लागू हो गया जो द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट (संशोधन) अधिनियम एक्ट 2018 कहलाएगा।
– न्यायालय के पास चेक में दी गई धनराशि का 20 फीसद हिस्सा जमा कराने का अधिकार होगा। इसके बाद ही सुनवाई होगी। यह धनराशि पीड़ित को मिलेगी।
– आरोपित दोषी सिद्ध हुआ तो अपील पर सुनवाई से पूर्व न्यायालय जुर्माने की धनराशि का न्यूनतम 20 फीसद या फिर पूरा पैसा जमा करा सकेगा। आरोपित बरी हुआ तो वादी को राहत राशि के रूप में जमा कराई गई धनराशि ब्याज समेत वापस करनी होगी।

- सुनवाई से पहले जमा करानी होगी 20 फीसद धनराशि
- यह संशोधन वर्तमान में चल रहे मामलों के आरोपियों पर भी लागू

केस एक : बेनाझाबर निवासी विजय ने एक फाइनेंस कंपनी को 62 हजार रूपये की चेक दी थी जो 10 फरवरी 2015 को बाउंस हो गई। फाइनेंस कंपनी ने स्पेशल सीजेएम की कोर्ट में मुकदमा किया जो आज भी लंबित है।

केस दो : दिल्ली की एक कंपनी ने शहर के शिशिर खरे को 2.50 लाख रूपये का चेक दिया जो बाउंस हो गया। 25 जुलाई 2011 को एसीएमएम तृतीय की कोर्ट में मुकदमा दाखिल हुआ जो आज भी लंबित है।

कर्मियों से बढ़े हुए वेतन की रिकवरी न की जाए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की न्यूनतम वेतन की अधिसूचना रद करनके के आदेश में हाई कोर्ट ने कुछ बदलाव किया है। सोमवार को दिए गए आदेश में मुख्य पीठ ने कहा कि जो बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को दिया जा चुका है, उसकी रिकवरी न की जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि चार अगस्त को न्यूनतम वेतन अधिसूचना रद करने का जो आदेश दिया गया था, उसमें यह जरूरी बिंदू ध्यान से निकल गया। अब पीठ का मानना है कि जिन्हे वेतन दिया जा चुका है, नियोक्ता उनसे पैसे वापस न ले।

बता दें कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से मार्च 2017 में जारी की गई न्यूनतन वेतन की अधिसूचना को चार अगस्त को रद कर दिया था।

अधिसूचना के तहत अकुशल कर्मचारी के लिए 13 हजार 500, अर्धकुशल के लिए 14 हजार 698 और कुशल कर्मचारी के लिए 16 हजार 182 रूपये न्यूनतम वेतन तय किया गया था। इस नोटिफिकेशन के बाद विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की तरफ से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। जिनमें आरोप लगाए गए थे कि न्यूनतम वेतन तय करने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया था।

- हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की तरफ से मार्च 2017 में जारी की गई न्यूनतन वेतन की अधिसूचना को चार अगस्त को रद कर दिया था।

मैं तेजी से जाता हूं, पीछे वाला साथ मिलता है

पीठ ने अपने फैसले में एक कथन का जिक्र करते हुए कहा कि तेजी से मैं जाता हूं, पीछे वाला साथ मिलता है..। पीठ ने न्यूनतम वेतन की अधिसूचना को भी ऐसे ही जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। पीठ ने कहा कि वेतन में बदलाव करना बेहद जरूरी है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को उल्लंघन होता है।

प्रथम पांच का शेष

जिनके पास सहमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं। यहां यह बात भी ध्यान देने वाली है कि यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सहमति पत्र भी प्रदूषण विभाग के अधिकारियों द्वारा ही जारी किये गये हैं। अब जब एनजीटी ने इन अधिकारियों की गर्दन पर हाथ रखा है तब ये अपने आपको बचाने के लिए उन कारखानों पर कार्यवाही कर रहे हैं, जहां पर कि थोड़े से प्रयास से ही सभी कम्प्लाएंस पूरी की जा सकती है। लेकिन उन कम्पनियों से कम्प्लाएंस पूरी करवाने के बजाये सीधे उनकी बन्दी के आदेश दे दिये गये हैं जिससे हजारों मजदूरों को रोजी–रोटी के लाले पड़ गये हैं। अभी हाल ही में आठ अगस्त के अपने आदेश में एनजीटी ने प्रदूषण विभाग के साथ–साथ प्रदेश के मुख्य सचिव को भी फटकार लगायी है तथा कड़े शब्दों में कहा है कि प्रदूषण विभाग का पूरा सिस्टम बेईमान है एवं फेल हो गया है।

- एनजीटी ने प्रदूषण विभाग को कड़ी फटकार लगायी तथा कहा कि यहां का सिस्टम फेल एवं भ्रष्ट है।

विभाग पूरी तरह से लापरवाह है एवं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। स्वच्छ हवा एवं स्वच्छ पानी मनुष्य का मूलभूत अधिकार है। इस देश का कोई भी नागरिक इसके बिना नहीं रह सकता है।

निर्दोष नागरिकों को इस तरह से क्यों भुगतना पड़े। एनजीटी ने बागपत में कुछ गांवों में कैंसर से बढ़ती मृत्यु में जमीन के अन्दर के पानी को विषैला पाया था जिसके कारण आसपास के कई गांवों में कैंसर तेजी से फैल रहा था। जिसका कारण आसपास के कारखानों द्वारा बिना शुद्धिकरण की प्रक्रिया के पानी को जमीन में भेज देना था। पानी में कैडमियम, जिंक, क्रोम, निकल, आयरन, लेड, फ्लोराइड एवं मरकरी की खतरनाक मात्रा पायी गयी थी। जिसके कारण हिन्डन नदी, कृष्णा एवं काली नदी के किनारे बसे गांवों में हिपेटाइटिस, कालरा, किडनी फेल, लीवर डैमेज, मेन्टल रिटार्डेशन, कैंसर एवं अन्य खतरनाक बीमारियां बढ़ गयी थी। जिसमें कई लोगों की जान भी चली गयी थी।

- प्रदूषण विभाग को सब पता है कहां से प्रदूषण फैल रहा है!
- अवैध कारखानों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं?

दो वर्ष से कम अवधि की नौकरी में कर्मचारी को गंभीर बीमारी में इलाज नहीं मिल पाएगा

इलाज की शर्तें बदलने पर ईएसआईसी को फटकार

नई दिल्ली। देशभर के स्वास्थ्य बीमाधारक कर्मचारियों के इलाज के लिए बीमा के नियम बदलने पर राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ईएसआईसी) ने देशभर के स्वास्थ्य बीमाधारक कर्मचारियों व उनके अश्रितों को इलाज मुहैया कराने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत दो वर्ष से कम की नौकरी में कर्मचारियों और आश्रितों को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य कर्मचारी बीमा निगम को आड़े हाथ लिया है। जस्टिस मनमोहन ने ईएसआईसी से साफ शब्दों में ईएसआईसी के वकील से कहा कि वह अगली सुनवाई पर यह स्पष्ट करे कि सुपर

स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज के नए नियमों को वापस ले रहे हैं या नहीं। जस्टिस मनमोहन ने मौखिक तौर पर कहा कि यदि आप इसे वापस नहीं लेते तो हम इसे रद्द कर सकते हैं, क्योंकि यह न तो तार्किक है और न ही उचित। हाईकोर्ट ने यह आदेश गंभीर बीमारियों से पीड़ित 14 कर्मियों के बच्चों की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।

शर्तें थोपना अनुचितः हाईकोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यदि कोई भी मरीज सरकारी अस्पताल में जाता है तो अस्पताल इलाज करने से मना नहीं करता। इसी तरह ईएसआईसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारियों का पालन कर रही है, एसे में इस तरह की शर्तें थोपना अनुचित है। क्योंकि इससे मरीजों को परेशानी होती है। उन्होंने हाईकोर्ट से इन शर्तों को रद्द करने की मांग की है।

ईएसआईसी के पास आठ हजार करोड़ रुपये जमा

अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने हाईकोर्ट को बताया कि ईएसआईसी के पास 8 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक रकम जमा है, जो खर्च नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यह पैसा कर्मचारियों द्वारा जमा कराए गए हैं। ऐसे में ईएसआईसी द्वारा इस तरह की शर्तें थोपना गलत है।

14 बच्चों की ओर से याचिका दायर

दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई सहित देशभर के 14 बच्चों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे इन बच्चों के पिता निजी कंपनियों, कारखानों आदि में कार्यरत हैं। उनका ईएसआईसी से स्वास्थ्य बीमा हो रखा है। ये कर्मचारी हर माह ईएसआईसी को प्रीमियम का भुगतान करते हैं।

देश में ईएसआईसी के ढाई करोड़ सदस्य

देशभर में ईएसआईसी के 2.5 करोड़ सदस्य हैं। जबकि देशभर में 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। ईएसआईसी पहले पंजीकृत कर्मचारियों के उन बच्चों को इलाज नहीं देती थी जो पंजीकरण होने से पहले से किसी भी बीमारी के शिकार होते थे। हाईकोर्ट में इसी नियम को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने ईएसआईसी को इसमें बदलाव करने पर विचार करने को कहा था। इसके बाद ईएसआईसी ने नियमों में बदलाव किया। ईएसआईसी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि ये शर्तें इसलिए जोड़ी गई, क्योंकि इसमें भारी पैमाने पर अनियमितता सामने आ रही थी।

'लॉ ऑपफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन यूपी की वेबसाइट का अनावरण

www.llaaup.org

गौतमबुद्धनगर। सेमिनार के अवसर पर 'लॉ ऑफ लेबर' एडवाइजर्स एसोसिएशन यूपी की वेबसाइट का अनावरण क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शशांक दिनकर द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से सभी सरकारी गजट एवं नोटिफिकेशन की जानकारी एसोसिएशन के सदस्यों को दी जाएगी तथा इस साइट पर ईपीएफ, ईएसआईसी, श्रम विभाग के लिंक भी दिए गए हैं, जिससे एसोसिएशन के सदस्यों को सुविधा हो तथा समय पर आवश्यक जानकारी मिल सके। इस वेबसाइट के द्वारा उद्योगों, श्रमिकों एवं सरकारी विभाग के मध्य बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की गई है। वेबसाइट का अनावरण करते हुए शशांक दिनकर ने कहा कि यह वेबसाइट बहुत ही बेहतर है एवं इसके माध्यम से लोगों को तमाम सही जानकारी समय पर उपलब्ध हो सकेंगी।

बंद होने वाले हैं करोड़ों एसबीआई ग्राहकों के एटीएम कार्ड, बैंक ने दी डेडलाइन

नई दिल्ली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहकों को जल्द ही अपना एटीएम कार्ड बदलवाना पड़ सकता है। एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शुक्रवार को जानकारी दी है कि वे ग्राहक जिनके पास पुराने मैजिस्ट्रिप (मैग्नेटिक) डेबिट कार्ड हैं उन्हें जल्द बदलवाना होगा। एसबीआई के मुताबिक, पुराने कार्ड के बदले ग्राहकों को ईएमवी चिप वाला डेबिट कार्ड लेना होगा। इसके लिए साल 2018 की डेडलाइन तय की गई है।

अगर ग्राहक डेडलाइन से पहले ऐसा नहीं करेंगे तो डेडलाइन खत्म होने के बाद वह एटीएम से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये एटीएम मशीनें पुराने कार्ड को स्वीकार नहीं करेंगी। एसबीआई ने यह भी बताया कि एटीएम कार्ड का कनवर्जन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और यह बिल्कुल मुफ्त होगा। एसबीआई का हाल ही में 6 अन्य बैंकों के साथ मर्जर हुआ है और बैंक के ग्राहकों की संख्यां में बड़ा इजाफा हुआ है। ऐसे में इस कदम का असर करोड़ों बैंक ग्राहकों पर पड़ेगा।

रेलवे 1 सितंबर से खत्म कर देगा मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना

नई दिल्ली। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम में यात्रियों को मुफ्त दुर्घटना बीमा देने की योजना बंद करने का फैसला लिया है। शनिवार को रेलवे बोर्ड के एक अफसर ने बताया कि इसे एक सितंबर से लागू किया जाएगा।

आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते वक्त यात्रियों को बीमा के लिए विकल्प दिया जाएगा। वे इच्छानुसार इसे लेने या नहीं लेने का चुनाव कर सकते हैं। दुर्घटना बीमा के लिए आगे कितना शुल्क वसूला जाएगा, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी ने दिसंबर 2017 से यात्रियों को मुफ्त बीमा देना शुरू किया था। रेलवे ने इससे पहले डेबिट कार्ड से भुगतान पर बुकिंग चार्ज भी माफ कर दिया था।

हादसे में यात्री की मृत्यु पर मिलते थे 10 लाख रुपए

दुर्घटना में मौत पर मिलते हैं 10 लाख रुपए : आईआरसीटीसी बीमा के तहत सफर के दौरान दुर्घटना में किसी यात्री की मौत होने पर 10 लाख रुपए देने का प्रावधान है। वहीं, दुर्घटना में अपाहिज होने पर 7.5 लाख, घायल होने पर दो लाख और शव के परिवहन के लिए 10 हजार रुपए दिए जाते हैं।

वन डिस्ट्रिक्ट - वन प्रॉडक्ट योजना से हर साल मिलेगा 5 लाख लोगों को रोजगार : योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 'जिला एक उत्पाद' समिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने 75 जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी देखी और बटन दबाकर व्यापारियों को 1,006 करोड़ रुपये का ऋण दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में निवेश का माहौल बना है और निवेशक लगातार आ रहे हैं। 'एक जिला एक उत्पाद' से प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। इससे हर साल पांच लाख युवाओं को अपने जिले में अपने गांव

में रोजगार मिलेगा। प्रदेश सरकार हर संभव प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। यूपी सरकार ने खुद स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। योगी ने कहा कि जब हमें सत्ता मिली तो प्रदेश की हालत क्या थी यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। हमें अलग-अलग मोर्चों पर काम करना था। प्रदेश से युवाओं का पलायन रोकना था। जिस पर हम कम से कम समय में जो कर सकते थे कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था में सुधार से प्रदेश की छवि बदली है। उन्होने कहा कि आज जापान और थाईलैंड से ज्यादा संभावनाएं उत्तर प्रदेश में हैं। प्रदेश के पहले ही स्थापना दिवस समारोह में ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट) लागू किया। अब हर गांव में कोई न कोई काम शुरू होगा। हमने सिर्फ पांच महीने में ही इन्वेस्टर्स समिट को जमीन पर उतारा है।

पानी पीकर ही नहीं, खाकर प्यास बुझा सकेंगे

बेंगलुरु। पानी को पीकर ही नहीं, खाकर भी अब आप अपनी प्यास बुझा सकेंगे। वह भी अलग-अलग स्वाद के साथ। बेंगलुरु के बॉयोटेक्नोलॉजी शोधकर्ता रिचर्ड गोम्स ने प्राकृतिक पदार्थों की मदद से खाने वाले पानी के गोले बनाए हैं। यह पानी का गोला एक पारदर्शी झिल्ली में होगा। जिसे आप गोलगप्पे की तरह खा सकेंगे। यह शोध अभी शुरूआती दौर में हैं। शोधकर्ता गोम्स और उनकी टीम ने प्लास्टिक बोतल का विकल्प तैयार करने के मकसद से यह पानी का गोला बनाया है। गौरतलब है कि जिस तकनीक का इस्तेमाल कर गोम्स ने यह पानी का गोला बनाया है वह पहली बार नहीं है। गोम्स ने स्पष्ट किया कि हम किसी बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं।

डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह
सहायक श्रमायुक्त

आर. सी. माथुर सत्येन्द्र सिंह आई. एस. वर्मा

आलोक सिंह एवं कललेश सिंह कनौजिया
(सहायक निदेशक कारखाना)

रितेश वर्मा – आर.पी. सिंह चौहान

आशीष माथुर – सुधीर त्यागी

पी.के. सिंह उपश्रमायुक्त

महेश सिंह – जी.सी. अरोड़ा
सहायक भविष्य निधि आयुक्त

गगैश्वर दत्त-सीटू

श्रम कानूनों एवं सोशल सिक्यूरिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन

इस अवसर पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त शास्वत शुक्ला ने कहा कि पीएफ विभाग में अब पीएफ निकलवाने के लिए ना तो विभाग के ना ही नियोक्ता के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी अब अपना पीएफ कहीं से भी ऑनलाइन निकाल सकते हैं। तथा यदि आप कहीं दूसरी जगह कार्य बदलते हैं तो अपना पीएफ ऑनलाइन ही ट्रांसफर करा सकते हैं। ईएसआई के उपनिदेशक आशुतोष गिरी ने कहा कि अब कर्मचारियों को आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है। जिसमें अब उन्हें ईएसआईसी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है, अब उनका एवं उनके परिवार का ईलाज बॉयोमेट्रिक तरीके से हो रहा है। उनका अंगूठा ही अब उनका कार्ड है। उप श्रमायुक्त पी.के. सिंह ने कहा की भवन एवं अन्य संनिर्माण अधिनियम के तहत श्रमिकों का पंजीकरण करवाने पर मातृत्व हित लाभ, शिशु कल्याण लाभ, छात्रवृत्ति योजना, मृतक आश्रित लाभ, कन्या धन योजना इत्यादि तमाम सुविधाओं का लाभ मिलता है। सभी भवन निर्माण में लगे श्रमिकों के बच्चों की पढाई का खर्चा सरकार द्वारा वहां किया जाता है। अतः लोगों को इस विषय में जानकारी देकर इस सुविधा का लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाये तो नियोक्ता के साथ श्रमिक का भी भला होगा।

इस अवसर पर ललित ठुकराल अध्यक्ष एन ए ई सी, विपिन मल्हन – अध्यक्ष एन ई ए, आई एस वर्मा, एच एल कुमार, अशोक श्रीवास्तव, योगेश गुप्ता, अरुण कुमार, एस के शर्मा, अरविन्द श्रीवास्तव, आर पी सिंह चौहान, गंगेश्वर दत्त, इत्यादि लोग मौजूद थे।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।

फोन : 0120–4122901 / 4108794 **मोबाइल नं. :** 9818036460 / 9818697406 **E-mail :** udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक :** शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक :** सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक :** बबिता सिंह **सह सम्पादक :** राजेश सिंह